

गायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

ठासीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

कदमा नम्बर:-98/2019 प्रार्थना पत्र

श्रीमति कंचन देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार मेहता, उम्र बालिग निवासी अमृत चौक, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----प्रार्थीया

बनाम

श्री लादूलाल पिता रामकरण आचार्य, उम्र बालिग निवासी पंचमुखी चौराया, चौरडियों का मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्री सोहनलाल पिता कजोड़मल आचार्य, उम्र बालिग निवासी पंचमुखी चौराया, चौरडियों का मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-6.5.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 5765 रकबा 02 बीघा 14 भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थीया के कब्जे कस्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा री के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर डी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 1.4.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त नसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल कस्त करते समय, फसल समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में अतः के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत किया जाकर ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 5765 रकबा 02 बीघा 14 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, पुर को 300/-रूपये (सौ रूपये) कमिस्नर फीस पर कमिस्नर नियुक्त किया जाता है। कमिस्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा दें। कमिस्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)

आई.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

